

प्रेम्, 3

संख्या-1976/15-17-89-63/62/87

श्री स्वच्छन्द गौतम,  
कृष्ण सीमा,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सेक्रेटरी,  
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी स्कूलों,  
2/19- ईस्ट बिल्डिंग अंजारी रोड,  
दीरघाबाग, नई दिल्ली।

शिक्षा अंश-17

तखाना: दिनांक 13 जून, 1988

विषय:- द्यामोटा स्कूल, फकी अलोनी, बाजपुर, नैनीताल को अनापीस्त प्रमाण  
पत्र दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह ज्ञान कि द्यामोटा स्कूल, फकी अलोनी,  
बाजपुर नैनीताल को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी स्कूलों, नई दिल्ली से सम्बन्धित  
प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रीतिबन्धों/ शर्तों के  
अधीन अनापीस्त नहीं है:-

क) सामान्य प्रीतिबन्ध

- 1- विद्यालय की प्रबन्धा समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक  
सदस्य होगा।
- 2- विद्यालय में कम से कम 10 प्रीतिबन्ध स्थान मेधावी, पिछड़े एवं निर्धन आय  
वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे तथा उनके उच्च माध्यमिक शिक्षा  
परिषद/बोर्ड शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किये गये विभिन्न  
कक्षाओं के लिए निर्धारित पुस्तक से अधिक पुस्तक नहीं लिये जायेगा।
- 3- संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।
- 4- संस्था के सभी अध्यापक/अध्यापिकाएँ प्रशिक्षित होंगी। संस्था के  
शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कार्यालयों को राजकीय सहायता प्राप्त  
शिक्षण संस्थाओं के कार्यालयों को अनुसन्ध पेंशनगारों तथा अन्य  
भत्तों से कम पेंशनगार एवं अन्य भत्तों नहीं दिए जायेंगे।
- 5- राज्य सरकार द्वारा अध्या शिक्षा विभाग द्वारा को भी आदेश निर्गत  
किये जायेंगे उनका पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा।
- 6- विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्चकोटि का रखा  
जायेगा।

ख) विशेष प्रीतिबन्ध

- 1- विद्यालय की प्रबन्धा समिति रीपटर्ड होगी तथा सम-सम पर

- 2- विद्यालय में प्रत्येक छात्र व अनुभाग के लिए उचित आकर का एक छात्र-छा, दो केंडीपठ किताब का, दो प्रयोगशाळा का तथा चार प्रशासनिक का की व्यवस्था की जायेगी ।
- 3- कर्मचारियों की सेवा-शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आतासकीय उत्पत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा-निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 4- विद्यालय का लेगा जोडा निधारित प्रश्नों/ पीयजाओं में खाता जायेगा ।  
2- उक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी समय उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त "अनापत्ति प्रमाण पत्र" वापस ले लिया जायेगा ।

भायदीय,

§ सतगुरु गौतम §  
संयुक्त सचिव।

संख्या- 1976/11/13-17-88-तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उप्रप्र, शिक्षा विभाग, लखनऊ ।
- 2- मध्यम उच्च शिक्षा निदेशक, मुंबाई मन्त्र, नैनीताल।
- 3- शिक्षा विभाग निरीक्षक, नैनीताल ।
- 4- निरीक्षक, अंगत भारतीय विद्यालय, उप्रप्र, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, दामोदा स्त्रा, फौजी कालोनी, बापूर, नैनीताल ।

आशा है,

§ सतगुरु गौतम §  
संयुक्त सचिव।

Seen  
Principal  
10/2/18  
Surukul International School  
HALDWANI (Nainital) (F)